की कास्ट पर मौका दिया गया था। न्यायहित में 600/- की कास्ट पर मौका दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र / आईन्दा दि० 25/6/17 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र कटेव पर प्रस्तुत होवे।

25/05/17 पत्रावली लोक अदालत / केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र कटेव पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी सं. 2 लगायत 4 उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 3, 4, 5, 6 व 9 उपस्थित। उभय पक्षों के अधिवक्तागण अनुपस्थित। विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आज भी प्रस्तुत नहीं हुआ, जबकि पिछले लगभग 9 महीनों से जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जा रहे है, जिसमे पिछली तारीख पेशी पर 600 रु. की कोस्ट पर दिया गया मौका भी शामिल है, जबकि नियमों मे प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु 1 माह की समय सीमा निर्धारित है। अत: ऐसी स्थिति में विपक्षीगण का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बंद / समाप्त किया जाता है।

उपस्थित उभय पक्षकारों को सुना गया। उभय पक्षकारों ने बताया कि उनके मध्य, लोक अदालत की भावना से, आपसी सहमति

...अधिकार / निषेधादेश

श्री दिनेश वगै., विपक्षी श्री योगेश वगै.

दमा प्रा. पत्र पत्रावली संख्या 13 सन् 2016

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
से मूल दावे को राजीनामे से निपटने के प्रयास चल रहे है, जिसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया की वजह से समय लगने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में उभय पक्षकारान मूल दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त/प्रकरणग्रस्त कृषि आराजी भूमियों की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सहमत है।	
अत: उपस्थित उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर मौजा मईवाड़ा, ग्राम पंचायत कटेव की प्रकरणग्रस्त एवं विवादित कृषि भूमि आ.नं. 682 रकबा 1.18 हैक्टे. तथा आ.नं. 683 रकबा 0.90 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 2.08 हैक्टे. भूमि की मूल दावे के निस्तारण तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभय पक्षकारों (प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण)	

---- P.T.O.

(बायाँ हाशिया, अंशतः कटा हुआ:)
...र्यान्यायहित ...किया जाता ...ल्दा दि० ...प कोर्ट ...र प्रस्तुत

... अदल ...प्रार्थी सं. 2 ... 3, 4, 5, 6 ...धिवक्तागण ... जवाब ... जबकि ... प्रस्तुत ...नसमें पिछली ...र दिया ...यमों में ... 1 माह ...ी स्थिति ...रने का ...ों को ...कि उनके ...ी सहमति

को पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में मजमे आम अटल सेवा केन्द्र कटेव पर सुनाया गया।

25/05/17

सहायक कलेक्टर एवं
उपखंड अधिकारी
ऋषभदेव
[कैम्प - कटेव ग्रा.पं.]